

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 06.03.2012 का कार्यवाही विवरण:-

कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज.)

बैठक संख्या:- 12

दिनांक:- 06.03.2012

वार :- मंगलवार

समय:- सुबह- 12.30 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 06.03.2012 प्रातः 12.30 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्ष श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	उपसभापति एवं सदस्य
2. श्री फूल सिंह मीणा	सदस्य
3. श्री राजेश जैन	सदस्य
4. श्री महोम्मद खलील	सदस्य
5. श्रीमति अर्चना शर्मा	सदस्य
6. श्री मुस्लिम अली बंदुकवाला	सदस्य
7. श्री सत्यनारायण आचार्य	आयुक्त एवं सदस्य सचिव
8. श्री सर्पथ बाबेल	सहायक अभियंता
9. श्री चतर सिंह	सहायक अभियंता
10. श्री करीमुद्दीन	सर्वेयर
11. श्री सिराजुद्दीन	सर्वेयर

सर्वप्रथम समिति अध्यक्ष श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर दिनांक 21.12.2012 की बैठक संख्या 11 की पुष्टि की गई। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आरंभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामान्तरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 06.03.2012 का कार्यवाही विवरण:—

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
1.	24, सेन्द्रल एरिया	श्रीमति नर्बदा जोशी पति जिम्मी जोशी	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री सुरेन्द्र सिंह राव के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने प्रथम तल पर बिना स्वीकृति निर्माण कर रखा है। जिसे नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने गैराज को कमरे में परिवर्तित कर दिया है। जिसकी शास्ती 3000/- रुपये तथा प्रथम तल पर बिना स्वीकृति के निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन करते हुए नामान्तरण किया जावे।
2.	872, हिरण मगरी से नं.4, उदयपुर	श्रीमति कुसुम सेठी पति करण सिंह	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री पन्ने सिंह पिता धनरूप सिंह के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी सेट बेक में निर्माण कर रखा है। प्रार्थी किये गये निर्माण का नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक्स में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन करते हुए नामान्तरण किया जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 06.03.2012 का कार्यवाही विवरण:-

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
3.	165, हिरण मगरी से नं. 11, उदयपुर	श्री सुरेश चन्द्र व्यास	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड की लीज डीड जारी करने हेतू आवेदन किया है। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड स्वयं के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड नगर विकास प्रन्यास से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के भवन का निर्माण कर रखा है तथा सेट बेक में भी निर्माण कर रखा है। प्रार्थी सेट बेक्स में तथा बिना स्वीकृति किये गये निर्माण का नियमन करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सर्व प्रथम प्रार्थी को दक्षिणी पश्चिमी कौने पर अतिक्रमण किया हुआ है जबकि योजना के तहत 20'-0" रेडियस गोलाई का होना चाहिए। अतः मौके पर गोलाई न कर सरकारी भूमि को भूखंड के अंदर शामिल मिला ली गई है उसे हटा योजनानुसार 20'-0" रेडियस में गोलाई कर दिवार बना फोटो प्रस्तुत करे। फोटो प्रस्तुत करने के पश्चात् सेट बेक्स में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं भवन रेखा के मध्य किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन करते हुए लीज डीड जारी की जावे।
4.	31, हिरण मगरी से नं. 11, उदयपुर	विजेता शर्मा	प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 25.11.2010 एवं 13.5.2011 एवं 25.8.2011, 17.11.2011 एवं 21.12.2011 को आयोजित समझौता समिति की बैठक में प्रकरण विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा मौका देखकर आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी ने मौके पर भूतल एवं प्रथम तल मय दोनों ओर निकासु रचना बना भवन में शामिल किया हुआ है। जबकि यहां सिर्फ भूतल में ही दुकानों की टाईप डिजाईन है। प्रार्थी स्वीकृति विरुद्ध निर्माण एवं निकासु रचना का नियमन कराना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की योजना के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक को उक्त योजना की टाईप डिजाईन के विरुद्ध किये गये निर्माण के नियमन के सम्बन्ध में राय लेने हेतू पत्र लिखा जावे। राय प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण बोर्ड की साधारण सभा में रखा जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 06.03.2012 का कार्यवाही विवरण:-

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
5.	459 हिरण मगरी से नं. 11, उदयपुर	श्री शीतल कुमार पिता सुंदर लाल	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड की नामान्तरण एवं उपविभाजन हेतु आवेदन किया है। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री कालू लाल छाजेड के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड का 2250 वर्ग फीट भाग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने सेट बेक्स में किये गये निर्माण एवं बिना स्वीकृति किये गये निर्माण का नियमन करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा फ्रंट सेट बेक में जो बरामदा बना रखा है। उसे गिराकर फोटो प्रस्तुत करे। तत्पश्चात् आगामी बैठक में रखें।
6.	709, सी हिरण मगरी से नं. 11, उदयपुर	श्री अशोक कुमार पिता खेराजमल चढढा	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री चन्द्र सिंह भाटी के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी ने सेट बेक में एवं प्रथम तल पर आंशिक निर्माण कर रखा है। प्रार्थी सेट बेक्स में एवं बिना स्वीकृति किये गये निर्माण का नियमन करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने गैराज को कमरे में परिवर्तित कर दिया है। जिसकी शास्ती 3000/- रुपये तथा प्रथम तल पर बिना स्वीकृति के निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए एवं सेट बेक्स में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन करते हुए नामान्तरण किया जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 06.03.2012 का कार्यवाही विवरण:-

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
7.	19, सेवाश्रम, उदयपुर	श्री महोब्वत सिंह	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के लीज डीड हेतू आवेदन किया था। पूर्व में दिनांक 25.8.11 की समिति के निर्णयनुसार राशि की गणना की गई प्रार्थी द्वारा पूर्व में नगर विकास प्रन्यास में नियमन होना बताने से पूर्व में की गई गणना में परिवर्तन होने से पत्रावली अनुमादनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत की गई ।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि परिवर्तित राशि वसूल करते हुए लीज डीड जारी की जावे।
8.	158, अलीपुरा	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत पिता स्व. श्री भगवान जी	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री गमेर सिंह पिता श्री हमेर सिंह राजपुत के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड हक त्याग पत्र से प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की योजना के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक को उक्त योजना की बिल्डिंग लाईन परिवर्तित कर शुन्य सेट बैक तक के निर्माण के नियमन के सम्बन्ध में तथा बिल्डिंग लाईन परिवर्तित करने की राय लेने हेतू पत्र लिखा जावे। राय प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण बोर्ड की साधारण सभा में रखा जावे।
9.	23, सुरजपोल, देहलीगेट, नेहरू बाजार योजना, उदयपुर	श्री प्रकाश चन्द्र साहू पिता नंद लाल साहू	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री नंद लाल पिता श्री अंबा लाल तेली के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड निर्मुक्ति पत्र द्वारा प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की योजना के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक को उक्त योजना की टाईप डिजाईन के विरुद्ध किये गये निर्माण के नियमन के सम्बन्ध में एवं टाईप डिजाईन परिवर्तित करने की राय लेने हेतू पत्र लिखा जावे। राय प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण बोर्ड की साधारण सभा में रखा जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 06.03.2012 का कार्यवाही विवरण:-

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
10.	107,108,109 अलीपुरा, उदयपुर	श्री शरद यादव, प्रकाश यादव, एवं कंचन बाई यादव	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नियमन, नामान्तरण एवं पुर्नगठन हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार प्लॉट संख्या 107 श्रीमति राजाबाई पति श्री लाल चन्द्र अहीर एवं 108,109 श्री लाल चन्द्र पिता उमराव जी के नाम पर है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखंड न्यायालय डीक्री एवं राजीनामा दिनांक 5.5.11 के दस्तावेज के आधार पर चाहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की योजना के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक को उक्त योजना की बिल्डिंग लाईन परिवर्तित कर शुन्य सेट बेक तक के निर्माण के नियमन के सम्बन्ध में तथा बिल्डिंग लाईन परिवर्तित करने की राय लेने हेतू पत्र लिखा जावे। राय प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण बोर्ड की साधारण सभा में रखा जावे।
11.	1, सुरजपोल देहलीगेट, उदयपुर	श्री पवन कुमार, श्री विनोद कुमार, श्रीमति संतोष देवी एवं श्रीमति सुनीता	प्रार्थी ने उक्त भू - खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति शांता देवी मुंदडा के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थ ने बरामदे को दुकानों में शामिल कर रखा है। आस पास की दुकानों का सर्वे करवाकर पत्रावली में संलग्न है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में इस प्रकार के कितने प्रकरणों का नियमन किया गया है इसकी संपूर्ण रिपोर्ट तैयार कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 06.03.2012 का कार्यवाही विवरण:-

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
12.	164, भुपालपुरा, उदयपुर	श्री गावर्धन सिंह झोटा, मनोहर सिंह झोटा, यशवंत सिंह झोटा पिता स्व. सरेमल	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री सरेमल पिता श्री बख्तावर सिंह झोटा के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड वारीसान से प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सेट बेक्स में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन करते हुए नामान्तरण किया जावे।
13.	188, अशोकनगर, उदयपुर	श्रीमति कमला व्यास पति श्री दुर्गाशंकर व्यास	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतु आवेदन किया है जिसका नियमन होकर राशि 2,36,212 जमा कराने हेतु 24.2.11 व वर्तमान दर से जमा कराने हेतु दिनांक 20.9.11 को सूचित किया गया। किंतु प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराने से प्रकरण दिनांक 16.12.11 को निरस्त किया गया जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से राशि जमा नहीं कर सकने का हवाला देते हुए राशि जमा कराने हेतु 3 माह का समय चाहा गया। अतः निर्णय हेतु पेश है।	समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को 31.3.12 तक राशि जमा कराने हेतु पत्र लिखा जावे। 31.3.12 तक यदि राशि जमा नहीं करता है तो प्रार्थी को कार्यवाही निरस्ती की सूचना देते हुए पत्रावली दफ्तर दाखिल की जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 06.03.2012 का कार्यवाही विवरण:—

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
14.	35, सुंदरवास योजना, उदयपुर	श्री अमित माथुर एवं मीरा माथुर	उक्त भूखंड का नियमन दिनांक 15.2.11 की समझौता समिति की बैठक में किया गया। समिति निर्णयनुसार राशि की गणना कर प्रार्थी को सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा 29.11.11 को निवेदन किया गया कि नियमन की राशि की गणना गलत है। तत्पश्चात् प्रार्थी ने 5.12.11 को वास्तविक नक्शों प्रस्तुत किये गये जिस पर पुनः गणना की गई। जिस पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शों में प्रथम तल का निर्माण नहीं बताया गया। प्रार्थी द्वारा पुनः वर्तमान स्थिति के नक्शों प्रस्तुत कर नियमन एवं नामान्तरण हेतू निवेदन किया गया। पत्रावली निर्णयार्थ रखी गई।	पत्रावली समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत की गई। समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चर्चा के पश्चात् सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भूखंड की वर्तमान स्थिति के मौका रिपोर्ट करने के पश्चात् प्रस्तुत नक्शों से गणना की जाचं करते हुए नियमन कर नामान्तरण किया जावे।

अन्य प्रस्ताव:—

1. समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर विकास प्रन्यास से हस्तान्तरित वाणिज्यिक योजनाएं जिसमें नगर विकास प्रन्यास द्वारा टाईप डिजाईन बना रखी है। उन टाईप डिजाईन के विरुद्ध अधिकतर लोगों ने अतिरिक्त मंजिल एवं निकासु बंद का निर्माण कर लिया गया है। जिससे नियमन नहीं होने से परिषद् को आर्थिक हानि हो रही है। ऐसी योजनाओं के लिये वरिष्ठ नगर नियोजक विभाग से नियमन हेतू राय ली जावे एवं आगामी बोर्ड बैठक में प्रकरण रखा जावे।
2. समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा हस्तान्तरित आवासीय योजना जिसमें कई योजनाओं में 80 से 100 प्रतिशत तक आवासीय भवन बिना किसी सेट बेक के छोड़े निर्माण कर लिये गये है एवं कईयों ने रास्ते की ओर निकासु भी बंद बना लिया गया है। ऐसी योजनाओं के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक विभाग से नियमन हेतू राय ली जावे एवं आगामी बोर्ड बैठक में प्रकरण रखा जावे।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 06.03.2012 का कार्यवाही विवरण:—

उक्त प्रकरणों में मांग की जाने वाली नियमन राशि इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी होने के 15 दिन में अनिवार्यतः जमा करानी होगी। अन्यथा प्रकरण निरस्त योग्य होंगे। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को निर्णयार्थ आगामी समझौता समिति में रखा जावेगा।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

क्रमांक:— नपउ/भ.वि/11-12/

दिनांक:—

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमान् जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर।
5. श्री /श्रीमति.....समिति सदस्य ।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर।
8.शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद्, उदयपुर

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक दिनांक 06.03.2012 का कार्यवाही विवरण:—